न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी नेहा राठी आर०ए०एस०

मुकदमा नं० 60/2024

1. ममता चौधरी पत्नी भगवान सहाय रूण्डला
2. लालीदेवी पत्नी सूरजमल जाट
3. संजू चौधरी पत्नी सेवाराम ग्राम बोबास तहसील जोबनेर जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. कानाराम पुत्र रूपाराम
2. गोमाराम पुत्र लालाराम
3. जगदीश पुत्र मांगूराम
4. लादूराम पुत्र मांगूराम
5. भुरी पुत्री मांगूराम
6. कमला पुत्री मांगूराम
7. गीता पुत्री मांगूराम
8. फुला पुत्री मांगूराम
9. हीरालाल पुत्र रामकरण
10. कानाराम पुत्र रामकरण
11. अशोक पुत्र रामकरण
12. सुभाष पुत्र रामकरण
13. राजपाल पुत्र रामकरण
14. सन्तोष पुत्री रामकरण
15. आशा पुत्री रामकरण
16. सुमन पुत्री रामकरण
17. सजना पुत्री रामकरण
18. मगना पुत्री रामकरण

    समस्त जाति जाट निवासी अगरपुरा तह0 जोबनेर

19. पोखर दत्तक पुत्र घीसाराम नि0 बोबास तहसील जोबनेर जिला जयपुर।
20. हनुमान पुत्र लालाराम निवासी अगरपुरा तह0 जोबनेर जिला जयपुर।
21. बैंक ऑफ बडौदा शाखा बोबास, जिला जयपुर।
22. आई.सी.आई.सी.आई बैंक लिमिटेड शाखा जोबनेर जिला जयपुर।
23. तहसीलदार तहसील जोबनेर।
24. उपपंजियक जोबनेर ।

प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर जयपुर

वाद बाबत तकासमा आराजीयात

एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– 1. श्री सुरेश कुमार शर्मा अधिवक्ता वादी

दिनांक :– 11/08/2025

निर्णय

वादीयागण द्वारा वाद बाबत तकासमा आराजीयात एवं स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम डाकणियावास, प0ह0 बोबास भू0अभि0नि0क्षेत्र आसलपुर तहसील जोबनेर जिला जयपुर मे कृषि भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि के नया खाता सं042 व पुराना खाता सं049 का ख0न0 166/5 रकबा 1.4289 है0 व ख0न0 171 रकबा 0.5564 कुल किता 2 कुल रकबा 1.9853 है0 भूमि राजस्व जमाबंदी सम्वत 2074–2077 मे प्रतिवादी सं01 कानाराम पुत्र रूघाराम का हिस्सा 1/8 है, प्रतिवादी सं02 का गोमाराम पुत्र लालाराम का हिस्सा 1/16 है, प्रतिवादी सं03 जगदीश पुत्र मांगूराम का हिस्सा 7/44 है, तीजा देवी पत्नी मांगूराम का हिस्सा 1/72 है, प्रतिवादी सं05 पोखर दत्तक पुत्र घीसाराम का 1/8 हिस्सा, रामकरण पुत्र मांगुराम का हिस्सा 1/72, प्रतिवादी सं07 लादूराम पुत्र मांगूराम का हिस्सा 7/144 है तथा प्रतिवादी सं03 व 4 खातेदार होने के साथ साथ मृतक खातेदार तीजा देवी पत्नि मांगूराम के पुत्र होने से वारिश है, प्रतिवादी सं 05 लगा 08 मृतक खातेदार तीजा देवी पत्नि मांगुराम के पुत्रीया होने से तकासमा के वाद मे आवश्यक पक्षकार है, प्रतिवादी सं. 9 लगा018 मृतक खातेदार तीजा देवी पत्नी मांगुराम के मृतक पुत्र रामकरण के पुत्र/पुत्रिया होने से व मृतक खातेदार रामकरण पुत्र मांगुराम के पुत्र/पुत्रिया होने से तकासमा के मुकदमें मे आवश्यक पक्षकार है, वादीगण सं.1 ता 3 का 1/6 हिस्सा निहित है।

उपरोक्त विवादग्रस्त आराजी का आज दिन तक बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर वादीगण व प्रतिवादी सं01 लगा020 के मध्य कोई बंटवारा नहीं हुआ है। वादी व प्रतिवादी सं01 लगा020 विवादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी के अनुसार अपने अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार है। भूमि को कृषि से अकृषि मे परिवर्तित कर राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की स्थिति मे परिवर्तन करने पर आमादा है। इसी उद्वेश्य से प्रतिवादी सं01 ता 20 ने दिनांक 25/5/2024 को वादीगण के कब्जे काश्त एवं हक हिस्से एवं अधिकार की उक्त विवादग्रस्त आराजी पर 3–4 अजनबी व्यक्तियो को लेकर आये एंव फ्रन्ट की ओर नाप झोक करने लगे तथा तार बाउण्ड्री करने लगे तथा निर्माण सामग्री डालने की कहने लगे। जिस पर वादीगण द्वारा इसका कारण पुछा गया तो प्रतिवादी सं01 ता 20 ने कहा किवे भूमि पर तार बाउण्ड्री कर निर्माण कार्य करेगे तथा निर्माण कार्य कर भूमि का बेचान करेगे तो वादीगण ने कहा कि पहले प्रतिवादी सं01 ता 20 अपनी भूमि का तकासमा करवा लेवे उसके पश्चात अपनी

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर (जयपुर)

भूमि का जैसा चाहे उपयोग उपभोग करे चाहे भूमि को रखे अथवा उसमे निर्माण करे, अथवा तार बाउण्ड्री करे अथवा बेचान करे परन्तु जब तक भूमि का विधिवत रूप से तकासमा नही होगा तब तक प्रतिवादी सं01 ता 20 उक्त भूमि मे ना कोई निर्माण कार्य करेगे और ना ही तार बाउण्ड्री करेगे और ना ही भूमि का विक्रय करेगे।

वादीगण को उक्त परिस्थितियो मे यह अधिकार प्राप्त है कि यह प्रतिवादी सं01 ता 20 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करावे कि प्रतिवादी सं01 ता 20 विवादग्रस्त आराजी का किसी अन्य को विक्रय हस्तान्तरित नही करे, ना ही भूमि के किसी भी विशिष्ट भू–भाग मे निर्माण कार्य करे ना ही भूमि मे तार बाउण्ड्री करे तथा वादीगण को उनके शांतिपूर्ण कब्जे काश्त से बेदखल नही करे ना ही कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की दखल अंदाजी ना तो स्वयं करे ना ही किसी अन्य से करावे, ना ही भूमि को कृषि से अकृषि मे परिवर्तन करे अर्थात प्रतिवादी सं01 ता 20 उक्त रागस्त कार्य ना तो स्वयं करे ना ही अपने किसी एजेन्ट,सर्वेन्ट, वर्कमेन प्रतिनिधि से करावे, मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा वादीगण प्रतिवादी सं023 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकार प्राप्त है कि प्रतिवादी सं023 विवादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे उसमे किसी प्रकार का परिवर्तन–परिवर्द्धन एवं फेरबदल नही करे, ना ही नामान्तकरण खोलने की कार्यवाही करे। तथा वादीगण प्रतिवादी सं0 12 को भी जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करवाने का अधिकार प्राप्त है कि प्रतिवादी सं01 ता 20 द्वारा विवादग्रस्त आराजी के संबंध मे किसी प्रकार का विक्रय पत्र प्रस्तुत किया जावे तो उसे तस्दीक नही करे तथा प्रतिवादी सं0 21 व 22 को भी पाबंद किया जावे कि जब तक वादीगण व प्रतिवादी सं01 लगा020 के मध्य विधिवत तकासमा नही हो जावे उक्त कृषि भूमि पर किसी प्रकार का लोन/ऋण अदा नही करे। इस प्रकार ऐसा प्रतिवादीगण ना तो स्वयं करे ना ही अपने किसी एजेन्ट,सर्वेन्ट, प्रतिवादीगण आदि से करावे।

वादीयागण विरूद्व प्रतिवादीगण बाबत स्थाई निषेधाज्ञा इस कदर डिक्री किया जावे कि वाद पत्र के मद नं01 मे वर्णित आराजीयात अर्थात वाके ग्राम डाकणियावास, प0ह0 बोबास भू0अभि0नि0क्षेत्र आसलपुर तहसील जोबनेर जिला जयपुर मे कृषि भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि के नया खाता सं042 व पुराना खाता सं049 का ख0न0 166/5 रकबा 1.4289 है0 व ख0न0 171 रकबा 0.5564 कुल किता 2 कुल रकबा 1.9853 है0 मे वादीगण को बेदखल कर कब्जा ना करे, ना ही विवादग्रस्त आराजीयात पर किसी प्रकार निर्माण कार्य करे, ना ही किसी प्रकार की नीव खुदाई करे ना ही निर्माण सामग्री डाले, ना ही तार बाउण्ड्री करे, ऐसा ना तो प्रतिवादीगण स्वयं करे, ना ही अपने किसी एजेन्ट, सर्वेन्ट, वर्कमेन इत्यादि से करावे तथा प्रतिवादी सं0 23 को पाबंद किया जावे कि प्रतिवादी सं023 राजस्व रिकॉर्ड मे किसी प्रकार का बेदखल नही करे राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा प्रतिवादी सं024 को पाबन्द किया जावे कि

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर जयपुर

प्रतिवादी सं024 के समक्ष किसी प्रकार का विक्रय पत्र अथवा अन्य कोई दस्तावेज प्रस्तुत होने पर उसे तस्दीक नहीं करे तथा प्रतिवादी सं0 21 व 22 को भी पावन्द किया जावे कि उक्त कृषि भूमि पर किसी प्रकार का लोन/ऋण अदा नही करे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे, जिसके कारण उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

बहस वकील वादीयागण सुनी गयी। दौराने बहस वकील वादीयागण ने दावे में वर्णित तथ्यों को ही पुनः दोहराया है। तथा वादीयागण का वाद मुताबिक वाद पत्र प्राथमिक डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने बहस वकील वादी पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड नकल जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077 का अवलोकन किया। विवादित ख0न0 166/5 एवं 171 वाकै ग्राम डाकणियावास तहसील जोबनेर में स्थित है। उक्त विवादित भूमि में वादीयागण एवं प्रतिवादीगण राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से के अनुसार खातेदार है। वाद पत्र में वर्णित आराजी का वादीयागण व प्रतिवादीगण के मध्य कानूनी तकास्मा नहीं हुआ है। इसलिए वादीयागण बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन करवाने की अधिकारी है। अतः दावा वादीयागण बाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता होने से वादीयागण का वाद दिनांक 21.05.2025 को प्राथमिक डिक्री किया गया।

प्राथमिक डिक्री दिनांक 21.05.2025 की पालना में तहसीलदार जोबनेर द्वारा दिनांक 24.06.2025 को कुरेजात तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किये गये।

बहस कुरेजात अधिवक्ता वादीगण सुनी गयी। अधिवक्ता वादीयागण द्वारा वादीगण का वाद दिनांक 24.06.2025 को पेश कुरेजात रिपोर्ट के अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने हेतु सहमति प्रदान की गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार, जोबनेर द्वारा प्राप्त कुरेजात का अवलोकन किया गया। वादी का वाद दिनांक 24.06.2025 को पेश कुरेजात रिपोर्ट के अनुसार अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादीयागण का वाद मुताबिक कुरेजात दिनांक 24.06.2025 के अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है।

वाकै ग्राम डाकणियावास

क.स	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	किस्म
1	ममता चौधरी पत्नी भगवान सहाय 1/3 लाली देवी पत्नी सूरजमल जाट 1/3 संजू चौधरी पत्नी सेवाराम जाट 1/3	166/5/बी 171/बी	0.7144 0.2982	जाव 3 चाही 3
		किता–2	0.9926	
2	कानाराम पि0 रूघाराम 1/4 जाट अगरपुरा पोखर दत्तक पुत्र घीसाराम 1/4 जाट बोबास रहन बी.ओ.बी बोबास गोमाराम पि. लालाराम 1/8 जाट अगरपुरा	166/5/ए	0.7145	चाही 3 0.2529 बारानी 2 0.3794 जाव 3

	जगदीश पि. मांगूराम 7/72 जाट अगरपुरा तीजादेवी पत्नी मांगूराम 1/36 जाट अगरपुरा रामकरण पि. मांगूराम 1/36 जाट अगरपुरा रहन आई.सी.आई.सी.आई जोवनेर लादूराम पि. मांगूराम 7/72 जाट अगरपुरा हनुमान पि. लालाराम 1/8 जाट अगरपुरा	171/ए किता–2	0.2782 0.9927	0.0822 चाही 3

तहसीलदार जोवनेर को आदेश दिये जाते हैं कि मुताबिक डिक्री कुरेजात दिनांक 24.06.2025 राजस्व रिकार्ड में अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। बैंक रहन संबंधित खातेदार के द्वारा बैंक के पक्ष में रहन रखे गये हिस्से को उसके खसरा नम्बर/रकवा के विरूद्ध दर्ज किया जावे। बैंक का रहन खातेदारों के नाम यथावत रहेगा। पर्चा डिक्री तहरीर जारी की जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें। तहसीलदार जोवनेर द्वारा प्रस्तुत कुरेजात दिनांक 24.06.2025 निर्णय का भाग रहेंगे।

निर्णय आज दिनांक 11.08.2025 को टंकित कराया जाकर मजमेआम में सुनाया गया।

(नेहा सेठी, RAS)
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर